



Mandsaur Nagar Palika

UJJAIN Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

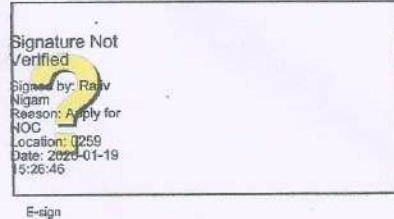
जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
CB-2500000081/FNOC/COL/2025/8769	19/01/2026	18/08/2025

आवेदन क्रमांक / Application No. :	CB-2500000081	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :	12.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	7704.0	सड़क के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :	12.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	8360.0		
आवेदक का नाम / Applicant Name :	VATSALYA PUBLIC SCHOOL MANDSAUR		
संपत्ति का पता / Property Address :	VATSALYA PUBLIC SCHOOL		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव नियमित अंतराल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकार्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में सम्भावित अग्निदुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शामिल समस्त बिन्दुओं जैसे मॉक डील, लाईफ सेफ्टी डील, अग्निशमन उपकरणों का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निदुर्घटना की स्थिति में स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने/निकलने का अभ्यास नियमित अंतराल में किया जाना आवश्यक होगा।



Joint Director, Mandsaur Nagar Palika
Ujjain Division, Madhya Pradesh

3. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित स्मैण्डपाइप एवं सकृशन/राइजर/डाउनकमर/स्प्रिंकलर पाईपों का हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण 25 में प्रावधानित नियमों के आधार पर प्रति पांच वर्षों में एक बार करना अनिवार्य होगा।

4. भवन की फास्ट एंड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना सम्भावित स्थलों जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कोरीडोर में IS : 2190 में प्रावधानित नियमों के आधार पर रखे गये फायर एक्सटिंग्यूशर को निर्धारित अवधि में रखरखाव, टेस्टिंग तथा रिफिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

5. भवन में फायर वाहन की बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मार्गदर्शिता अनुसार प्रावधानित MOS को हमेशा बाधा रहित रखना अनिवार्य होगा एवं भवन के सभी फ्लोर एरिया के बाहरी निकासों को हमेशा निर्बाध रूप से खुला रखा जाना आवश्यक होगा।

6. भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 30 जून तक फायर सेफ्टी ऑडिट (जिसमें अग्निशमन उपकरणों की जांच, फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निसुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि शामिल हों) एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट (विद्युत उपकरणों/तारों की जांच एवं विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा) निर्धारित अवधि एवं प्रपत्रों में करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

7. भवन में हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है साथ ही परिसर के अंदर धूम्रपान एवं चिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिये और परिसर को झाड़ियों, सूखी वनस्पतियों एवं ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

8. अग्निसुरक्षा संचालन व्यवस्था हेतु भवन की श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है एवं नियंत्रण कक्ष में Emergency Kit, PPE एवं First Aid को नियमानुसार हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

9. भवन की अग्निसुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित किया जाना आवश्यक है, अग्निशमन उपकरणों की प्रेशर टेस्टिंग, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग, फायर पंप का प्रेशर सेटिंग, पानी की उपलब्धता एवं रिफिलिंग आदि कार्य का चेकिंग सिस्टम तैयार कर, टेस्ट रिपोर्ट रोजाना, सप्ताहिक, महीनेवार एवं वार्षिक का संधारण रजिस्टर में नियमित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

10. आवेदकों/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के नवीनीकरण हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत आवेदन करना होगा।

Signature Not
Verified

Signed by: Ravi
Rigam
Reason: Apply for
IOC
Location: 0259
Date: 2023-01-19
15:26:46

E-sign

Joint Director, Mandsaur Nagar Palika
Ujjain Division, Madhya Pradesh